

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 1366 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 21/05/2020

रायपुर जिला अंतर्गत रायपुर नगर निगम के थाना पंडरी(मोवा) क्षेत्र के बी.एस.यू.पी. कालोनी, वृंदावन सड़क अंतर्गत 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार क्षेत्रों-


1. बी.एस.यू.पी. कालोनी-साजन दास खेमका, वृंदावन
 2. कालोनी एरिया, कैपिटल होम्स 01 एवं 02
 3. कैपिटल सिटी फेस 01, राजवाड़ा सिटी
 4. सेक्टर 08 का पूरा कॉलोनी एरिया
 5. दक्षिण में - विज्ञान केन्द्र के पास नाला,
 6. पूर्व में - कैपिटल सिटी फेस 01,
 7. उत्तर में - राजवाड़ा सिटी गेट,
- को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।


1. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
3. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
5. कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्यय द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जावेगी।

B- कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है -

1. केवल 01 प्रवेश एवं निकचस की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग-
संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर
2. कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था-
आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर
3. घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन -
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर
4. उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु श्री राजीव कुमार पांडे, संयुक्त कलेक्टर रायपुर प्रभारी अधिकारी रहेंगे।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ प्रेषित।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.) 21/05/20